

कार्यालय-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) रामगंज संसारपुर, खगड़िया शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

Website :- www.dietkhagaria.co.in

नामांकन से संबंधित आवश्यक सूचना

सेवा पूर्व डी0 एल0 एड0 प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के द्वितीय सूची के विरुद्ध चयन सूची संस्थान के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दी गई है। नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके नामांकन के पात्रता का घोटक है, नामांकन की अनिवार्यता का नहीं। चयनित अभ्यर्थी दिनांक 25/10/2021 से 26/10/2021 तक कार्यालय के कार्य दिवसों में 11:00 AM से 3:00 PM तक निम्न अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ संस्थान में नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी के प्रिंट आवेदन पत्र के प्रविष्टियों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के उपरांत ही **Online Payment** करना होगा। पेंमेन्ट होने के बाद ही नामांकन की प्रतिक्रिया पूरी की जायेगी।

नामांकन के समय निम्न मूल प्रमाण पत्रों एवं शर्तों के साथ उपस्थित होंगे।

1. ऑनलाईन आवेदन प्रिंट की प्रति
2. मैट्रिक/परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
3. इंटर/परीक्षा का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र
4. आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति। (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. आरक्षण कोटि के एवं विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जात/विकलांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति। एवं शपथ-पत्र (Notary Public)
6. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। (अनिवार्य रूप से) इसके बिना नामांकन नहीं होगा।
7. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500/- (ग्यारह हजार पांच सौ रूपये) एवं अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 7000/- (सात हजार रूपये) शुल्क का भुगतान का ऑनलाईन होगा।
8. सभी मूल प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर में जमा करेंगे।
9. सत्यापन के क्रम में प्रमाण-पत्रों में फर्जी पाए जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
10. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जायेगी।
11. स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा)
12. उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

नोट:- महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र (CLC) मूल (Original) रूप में नामांकन के समय लाना अनिवार्य है।

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)
रामगंज संसारपुर, खगड़िया